

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

No. 266]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

उपभोक्ता मले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(सी.आई.एस. अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2010

का. सं. 308(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 के तहत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के आदेश संख्या का.आ. 2173(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणता नियंत्रण) द्वितीय आदेश में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अनुसूची में स्तम्भ (1) में भारतीय मानक 648, 3024, 15391, 2002, 2041, 2830 और 2831 और स्तम्भ (2) में उनसे संबंधित प्रविष्टियां छोड़ दी जाएं।

[फा. सं. 5/13/2004-बीआईएस (वालयूम-V)]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

नोट.—मूल आदेश भारत के राजपत्र में का.आ. 2173(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के तहत अधिसूचित किया गया था जिसको बाद में का.आ. 438(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2009 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

ORDER

New Delhi, the 9th February, 2010

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order of Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 2173(E), dated the 9th September, 2008, namely:

In said Order, in the Schedule, in Column (1), Indian Standards 648, 3024, 15391, 2002, 2041, 2830 and 2831 and entries relating thereto in Column (2), shall be omitted.

[F. No. 5/13/2004-BIS-(Vol.-V)]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Note.—The principal Order was notified vide S.O. 2173(E), dated the 9th September, 2008 which was subsequently amended vide Order published in the Official Gazette vide S.O. 438(E), dated 10th February, 2009.